

PRESS RELEASE

BIS raid – Domestic Gas Stoves for use with LPG Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS) conducted an enforcement raid at M/s. Krishi Industries, Khasra No. 1140, Gali No. 16, Rithala Village, Delhi-110 085 on 20 December 2016.

The unit was manufacturing Domestic Gas Stoves for use with LPG under brand "SURYA GOLDLINE" without having a valid licence, violating Section 11 (1) of BIS Act, 1986.

The above said firm was manufacturing Domestic Gas Stoves for use with LPG with Licence Nos. CM/L-8434570 and CM/L-8086887 respectively without having valid BIS licence.

भारतीय मानक ब्यूरो

(डीएलबीओ-1)

प्रेस रिलीज़

भारतीय मानक ब्यूरो ने छापे मारे

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) ने 20 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में मैसर्स कृषि इंडस्ट्रीज़, खसरा नं. 1140, गली नं. 16, रिठाला गाँव, दिल्ली-110085 पर प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई "सूर्या गोल्डलाईन" ब्रांड नाम के अंतर्गत बिना वैध लाइसेंस लिए द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ प्रयुक्त होने वाले गैस चूल्हों का निर्माण कर रही थीं, जो भामाब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 11(1) का उल्लंघन है। भामाब्यूरो अधिनियम के अनुसार भामाब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना मुहर का उपयोग या इसकी नकल दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 50,000/- रुपए का जुर्माना अथवा एक वर्ष की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं।